



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3260]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2017/अग्रहायण 1, 1939

No. 3260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017/AGRAHAYANA 1, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2017

**का.आ. 3714(ब).**—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में अधिनियम की धारा 5 के अधीन समुच्चय के सभी मामलों को, जिनमें पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) तथा तदधीन बनाए गए नियमों या तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन तेल और गैस क्षेत्र में प्रचालन कर रहे केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम (सीपीएसई) अंतर्भूत हैं, की पूर्ण या आंशिक स्वामित्व में तेल और गैस क्षेत्र में प्रचालन कर रही समनुषंगियों को, अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 के उपबंधों से, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. प्रति.-07/7/2017-प्रति.-एमसीए]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2017

**S.O. 3714(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) (herein after referred to as the Act), the Central Government in the public interest hereby exempts all cases of combinations under section 5 of the Act involving the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) operating in the Oil and Gas Sectors under the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) and the rules made thereunder or under the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the rules made thereunder, along with their wholly or partly owned subsidiaries operating in the Oil and Gas Sectors, from the application of the provisions of sections 5 and 6 of the Act, for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. Comp-07/7/2017-Comp-MCA]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.